2.24

प्रपत्र–28

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार विस्तार का कार्य वास्तविक लम्बाई 6.00 कि.मी. के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर द्वारा निर्धारित संरेखण के सम्बन्ध में आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जो संरेखण तय किया गया है उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं मार्ग के निर्माण में आने वाली वन भूमि एवं नाप भूमि को लो0नि0वि0 को देने में समस्त ग्रामवासी सहमत हैं। इसके अलावा और कोई बिकल्प भी नहीं है। अतः इसी संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोध किया जाय।

बैठक में यह भी तय किया गया हे आवेदित वन एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricaltural Tribal Groups) निवास नहीं करते हैं और परियोजना के निर्माण से इन वर्गों के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

स्थानः–

दिनांकः:–

ह0

ग्राम प्रधान / सरपंच

की मुहर

सरपंच

वन पंचायत कुरसाली

जनपद – बागेश्वर

नोट– परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गांवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव मय अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जाय। उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

2.24.1

वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव सं0......)

जनपद बागेश्वर में स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 6.00 कि.मी. के निर्माण के समबन्ध में अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर द्वारा सूचित किया गया है कि मार्ग के संरेखण में वन पंचायत मनाखेत की भूमि आ रही है। वन भूमि प्रस्ताव की पूर्ति हेतु वन पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में वन पंचायत मनाखेत की दिनांक ....को आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जो संरेखण तय किया गया है उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं मार्ग के निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि को लो0नि0वि0 को देने में समस्त ग्रामवासी सहमत हैं। इसके अलावा और कोई बिकल्प भी नहीं है। अतः इसी संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोध किया जाय।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया और इसकी एक प्रति लोक निर्माण विभाग को भेजने हेतु सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया हैं।

स्थानः– ग्राम मनाखेत

दिनांकः:–

ह0 सरपंच
की मुहर

प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

ह0 सरपंच
की मुहर

वन पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर –

1
2 भोना जोशी
3 मुन्नी पाण्डे
4
5 लाल सिंह
6 रमुली देवी
7
8 महेन्द्र
9
10 हीरा सिंह
11 दानसिंह
12 नारायण सिंह
13 प्रतापसिंह

उमा देवी
सरपंच
वन पंचायत मनाखेत
पो0-कांधार, (बागेश्वर)

सरपंच
वन पंचायत लद्दाड़ा
पो० मिलकोट जि० ... गरुड़
जिला-बागेश्वर (उत्तरांचल)

सरपंच
वन पंचायत कुरसाली
जनपद – बागेश्वर